न्यायमूर्ति *के. कन्नन*

राम करन और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

1990 की सीडब्ल्यूपी संख्या 16258

23 मई, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 162, 226-हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1982-आरएल.9 (3) - छह महीने के लिए निर्धारित नियुक्ति या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के उम्मीदवार के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो- बाद के खंड को लागू करते हुए सेवा समाप्त।

माना जाता है कि नियमों के अनुसार याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को नियमित माना जाना चाहिए और सेवाओं को नियुक्ति पत्र में किसी भी खंड द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जो नियमों के साथ असंगत है। इस तरह की असंगति को प्रबल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिका की अनुमति दी।

(अनुच्छेद 4 और 5)

याचिकाकर्ताओं के लिए *वकील आर.के.*

उत्तरदाता नंबर 1 और 2 के लिए कोई नहीं

गोरीपुरिया, डीएजी, हरियाणा, *प्रतिवादी नंबर 3* के लिए

न्यायमूर्ति के. कन्नन(मौखिक)

(एक) रिट याचिका उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने के लिए है कि वे चपरासी के पद पर याचिकाकर्ताओं को नियमित रूप से मानें और उनकी सेवाओं को कानून की प्रक्रिया के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है।

(दो) याचिकाकर्ताओं को हरियाणा नगरपालिका सेवा (एकीकरण, भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1982 (संक्षिप्तता के लिए, 'नियम, 1982') के संदर्भ में चपरासी के पद पर नियमित रिक्तियों के लिए रोजगार कार्यालय से सिफारिश के बाद नियुक्त किया गया था। आदेश जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी उपायुक्त और याचिकाकर्ताओं को 13 जून 1990 को नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। आदेश में ही लिखा गया है कि सेवाओं को नियम, 1982 द्वारा विनियमित किया जाएगा। हालांकि, नियुक्ति के आदेश में एक शर्त थी कि पद अस्थायी थे और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किए जा सकते थे। नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक निर्धारित की गई थी जो पहले थी। यह एक बाद वाला खंड था जिसे याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था। याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं के माध्यम से आए थे और सेवा में बने रहने के लिए अंतरिम निर्देश प्राप्त किए थे। दिनांक 12 फरवरी, 2004 के आदेश के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें हरियाणा के सरकारी विभागों में अन्य पदों पर पुन नियुक्त किया गया था।

(चार) याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि यदि यह एक स्वीकृत तथ्य था कि उनकी सेवाओं को नियम 1982 के तहत विनियमित किया जाना था, तो नियम स्वयं नियम 9 (3) के माध्यम से प्रदान करता है कि जो पद खंड 1 (i) और 2 (i) द्वारा कवर नहीं किए गए थे, जो उन व्यक्तियों की नियुक्तियों का संदर्भ देते थे जिनका प्रारंभिक वेतन 700 रुपये और 400 रुपये से अधिक था, नियुक्ति संबंधित रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी चाहिए। नियमों के परिशिष्ट ख के अनुसार पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। उपायुक्त नियमों के अनुसार याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को नियमित माना जाना चाहिए और उनकी सेवाओं को नियुक्ति पत्र में किसी भी खंड द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जो नियमों के साथ असंगत है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को छह महीने की अवधि के लिए या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक, जो पहले उपलब्ध थे, का संदर्भ, इसलिए, नियमों के साथ असंगत था और इसे प्रबल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पाँच) याचिकाकर्ताओं की शिकायत न्यायोचित थी लेकिन इस न्यायालय द्वारा 12 फरवरी, 2004 को दिए गए अंतरिम निर्देशों के कारण उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता रिट याचिका में मांगे गए तरीके से प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से नियमित पदों पर रहने के हकदार हैं।

(छः) रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

एम. जैन

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा